प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक' [26/7/2016]

प्रश्न क्र. 3235 परिशिष्ट "अ"

(27-12-62) राजपत्र 7-8-1964)

— धारा 108 की उपधारा 4 के अधीन चालू खर्चों की पूर्ति के लिये परिषद द्वारा कार्यालय में रखी जाने वाली नगद सिलक (cash balance) निम्नानुसार होगी.—

A. प्रथम वर्ग की नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में— 500 रुपये

B. द्वितीय वर्ग की नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में— 350 रुपये

C. तृतीय वर्ग की नगरपालिकाओं के संबंध में— 300 रुपये

D. चतुर्थ वर्ग की नगरपालिकाओं के संबंध में— 250 रुपये

ये नियम समस्त नगरपालिकाओं के लिये सामान्य होंगे।

2. शक्तियों का प्रत्यायोजन - (उपधारा (3) धारा 108) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां संचालक स्थानीय संस्थाएं- म.प्र. को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिसूचना क्र. 968-6681-अठारह- 2-73 दि. 26-12-73 (राजपत्र 8-2-1974)

— निर्माण की इजाजत के लिए जो कारक (factors) देखे जाना हैं वह सुविधा, सुरक्षा और स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण के बारे में हैं -(श्रवणलाल वि. म्यु. कमेटी खाचरोद, 1970 MPLJ 772) जस्टिस कृष्णन तथा जस्टिस एस. बी. सेन)

— धारा 105 (1) (C) मार्तीकर (विनियम तथा उदग्रहण) नियम 1988 - नियम 12 - नगरपालिका द्वारा पट्टे पर ठेके पर दिया जा सकता है - बसन्तराम वि. स्टेट म.प्र., 1994 (2) विधा 174.

*[**धारा 109. परिषद् में निहित या उसके प्रबंध के अधीन नगरपालिक संपत्ति के व्ययन को शासित करने वाले उपबंध.**— (1) किन्हीं भी पथों, भूमियों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकासों या सिंचाई की नहरों का ऐसे नियमों के अनुसार ही जो इस निमित्त बनाए जाएं, विक्रय किया जाएगा, पट्टे पर दिया जाएगा या अन्य संक्रमण किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए—

(क) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वविवेकानुसार, परिषद् की किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का पट्टा जिसमें मछली पकड़ने या फल, फूलों तथा उसी प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने और ले जाने का कोई अधिकार सम्मिलित है, जिसका यथास्थिति प्रीमियम या भाड़ा या दोनों एक समय में बारह मास से अनधिक कालावधि के लिए दो सौ पचास रुपए से अधिक न हो, मंजूर कर सकेगा :

परन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मंजूर किए गए प्रत्येक ऐसे पट्टे की, जो उस वर्ग के पट्टे से भिन्न हो जिसके संबंध में **[प्रेसीडेन्ट-इन-कौंसिल] ने संकल्प द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस परंतुक की अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट दी हो, रिपोर्ट उसके द्वारा **[प्रेसीडेन्ट-इन-कौंसिल] को उसके मंजूर किए जाने के 15 दिन के भीतर दी जाएगी।

(ख) मुख्य नगरपालिका अधिकारी **[प्रेसीडेन्ट-इन-कौंसिल] की मंजूरी से किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का पट्टा जिसमें यथा पूर्वोक्तानुसार कोई ऐसा अधिकार सम्मिलित है और जिसका यथास्थिति प्रीमियम या भाड़ा या दोनों किसी एक वर्ष के लिए एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक न हो, किसी ऐसी कालावधि के लिए जो एक समय में तीन वर्ष से अधिक न हो, विक्रय द्वारा या अन्यथा मंजूर कर सकेगा।

(ग) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परिषद् की मंजूरी से, परिषद् की किसी स्थावर संपत्ति को पट्टे पर दे सकेगा, उसका विक्रय कर सकेगा या उसका अन्यथा हस्तांतरण कर सकेगा।

* म.प्र. अधिनियम. क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित। [म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 मई, 1995]

** म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित। [म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29-8-98 में प्रकाशित]

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल